

राजस्थान सरकार
शिक्षा (गुप-4) विभाग

संख्या प. 11 (3) शिक्षा-4/2009पाट

दिनांक: 31 मई, 2019

आदेश

शिक्षा-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2019-20 के लिए शुल्क

राज्य के गैर-अनुदानित शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों के 2018-19 के वार्षिक शुल्क के संबंध में जारी
विभाग का समस्त अधिक आदेश दिनांक 22 मार्च 2018, अगस्तिक सत्र 2019-20 के लिए भी लागू होगा।

JD(PF)

296

31/5/19

(डॉ० राजेन्द्र ओशी)

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिनिधि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशेष सचिव, माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन (एनसीटीई), हंस भवन, विंग-11, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय समिति, नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन (एनआरसी-एनसीटीई), G-7, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली 110075।
10. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
13. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
14. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
15. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
16. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
17. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
18. कुलसचिव, वर्धमान महावीर खुत्ता विश्वविद्यालय, कोटा।
19. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
20. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल वृज विश्वविद्यालय, भरतपुर।

आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
संख्या प. 11 (3) शिक्षा-4/2009पाट दिनांक: 03.6.2019

प्रभारी निदेशक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
प्रभारी निदेशक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

31/5/19

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
शिक्षा(गुप-4) विभाग

क्रमांक: प. 11 (3) शिक्षा-4/2009पाद

दिनांक: 22 मार्च, 2018

आदेश

शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2018-19 के लिए शुल्क

नेशनल काउन्सिल फॉर टीचर एज्युकेशन के रेगुलेशन के अनुसार गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति की अनुशंसा पर राज्य के गैर-अनुदानित शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सत्र 2018-19 के लिए निम्नानुसार वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है:-

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	मद	बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड./ एम. पी.एड.	बी.ए.-बी.एड./ बी.एड.- एम.एड. बी.एस.सी.-बी. एड.
1.	शिक्षण शुल्क	17880.00	17880.00	17880.00	17880.00
2.	विविध शुल्क	4440.00	4440.00	4440.00	4440.00
3.	कम्प्यूटर शुल्क*	960.00	-	-	960.00
4.	अन्य गतिविधियां*	3600.00	-	-	3600.00
	योग	26880.00	22320.00	22320.00	26880.00

* (क्र.सं. 3 व 4 पर वर्णित शुल्क बी.पी.एड. व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।)

उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 2 में वर्णित विविध-शुल्क का मंदवार विवरण निम्नानुसार होगा:-

क्र.सं.	मद	बी.एड./ शिक्षाशास्त्री	एम.एड./ शिक्षा-आचार्य	बी.पी.एड./ एम.पी.एड.	बी.ए.-बी.एड./ बी.एस.सी.-बी.एड./ बी.एड.- एम.एड.
(A)	कार्यालय व्यय				
1.	प्रवेश शुल्क *	36	36	36	36
2.	कौशन मनी *	180	180	180	180
3.	ग्रमाण-पत्र	24	24	24	24
4.	विकास शुल्क	840	840	840	840
5.	विजली-पानी	840	840	840	840
6.	परीक्षा	300	300	300	300
7.	विविध	60	60	60	60
	योग (A)	2280	2280	2280	2280

Verified True Copy
Registrar
Jagan Nath University, Jaipur

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

(B) छात्र कोष				
1.	खेलकूद	180	180	180
2.	पुस्तकालय	540	540	540
3.	कला, संगीत एवं संस्कृति	180	180	180
4.	ननोवैज्ञानिक प्रयोगशाला	180	180	180
5.	शैक्षिक तकनीकी	360	360	360
6.	कार्यशाला/कार्यानुभव	360	360	360
7.	विज्ञान शुल्क	180	180	180
8.	आकस्मिक व्यय	180	180	180
	योग (B)	2160	2160	2160
	महायोग (A+B)	4440.00	4440.00	4440.00
(* कार्यालय व्यय के क्र.सं. 1 व 2 पर वर्णित मद का शुल्क किसी भी पाठ्यक्रम में सिर्फ प्रवेश के प्रथम वर्ष में ही देय होगा)				

उपरोक्त शुल्क वार्षिक रूप से देय होगा। पूर्व के वर्षों में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को सत्र 2018-19/आगामी सत्रों के लिए संगत आदेश के अनुसार ही वार्षिक शुल्क, प्रवेश शुल्क व कौशल मनी मद की राशि को छोड़कर, शेष शुल्क संबंधित महाविद्यालय/संस्था में जमा करवाना होगा। उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त वरिष्ठ विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के प्रीमियम की राशि पृथक से देय होगी।

शुल्क की राशि जमा करने हेतु प्रवेश समन्वयक व महाविद्यालय/संस्थाएँ राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार आवेदकों/विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से कैंसलिस विकल्प उपलब्ध करवाएँ।

(डॉ० राजेंद्र जोशी)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, एनसीटीई, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई (एनआरसी) जीवननिधि- II, एलआईसी भवन, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
10. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. कुलसचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।

Registrar
Jagan Nath University
Jaipur

13. कुलसचिव, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।
14. कुलसचिव, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
15. कुलसचिव, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर।
16. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
17. कुलसचिव, बर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।
18. कुलसचिव, प. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
19. कुलसचिव, महाराजा सूरजमल गुज विश्वविद्यालय, भरतपुर।
20. कुलसचिव, राजकृषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अत्तर।
21. कुलसचिव, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
22. कुलसचिव, निजी विश्वविद्यालय,
23. कुलसचिव, डीन्ड विश्वविद्यालय,
24. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
25. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
26. संयुक्त निदेशक, निजी संस्था, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
27. मुख्य लेखाधिकारी एवं प्रभारी छात्रवृत्ति, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
28. वरिष्ठ लेखाधिकारी, (शिक्षा ग्रुप-5) विभाग, सचिवालय।
29. समन्वयक, पीटीईटी परीक्षा 2018, मु.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर।
30. समन्वयक, एमपीईटी परीक्षा 2018, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
31. समन्वयक, प्री-बी.पी.एड. व प्री-एग.पी.एड. परीक्षा 2018, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
32. समन्वयक, पीएसएसटी परीक्षा 2018, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर।
33. प्रभारी वेबसाइट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर-वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(नोट-प्रवेश परीक्षाओं की समन्वयक संस्थाओं को प्रेषित कर लेख है कि आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड करवाये तथा एन्सरीटीई के विनियम 2002 व संशोधन 2010 के विन्दु संख्या 9(1) (iv) के अनुसार सत्र 2018-19 के लिए निर्धारित शुल्क के मन्तव्य का समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाये)


संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

इसका F&P(Fee)की.पत्र/आवाही/2018/206

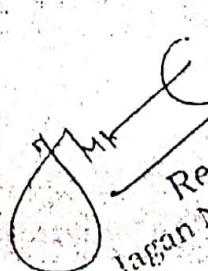
दिनांक 23.03.2018

प्रभारी वेबसाइट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
इसका विभाग-4 वेबसाइट पर अपलोड करवाये।

Certified True Copy
Registrar
Jagan Nath University, Jaipur

23.3.18

संयुक्त निदेशक (निजी संस्थान)
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा
राज. जयपुर


Registrar
Jagan Nath University
Jaipur



कार्यालय समन्वयक, पी.टी.ई.टी.-2025

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा



क्र.सं. वससुवि/PTET/2025/ 771

दिनांक 31/7/25

अधिसूचना संख्या: 11/2025 दिनांक 04-07-2025

दो वर्षीय बी.एड. एवं चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी. बी.एड. पाठ्यक्रम की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

1. पी.टी.ई.टी.-2025 दो वर्षीय बी.एड. एवं चार वर्षीय बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी. बी.एड. प्रवेश परीक्षा का परिणाम दिनांक 02-07-2025 को अधिकृत वेबसाइट www.ptetvmoukota2025.in पर जारी किया जा चुका है। परीक्षा की अंकतालिका में अभ्यर्थी की श्रेणी इत्यादि का अंकन किया गया है। अभ्यर्थी जाँच ले कि उसके तथ्य/डेटा सही है अथवा नहीं।
2. पी.टी.ई.टी.-2025 में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों का बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इस टेस्ट में अपने प्राप्त अंकों के आधार पर पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुल्क 5000/- रूपया जमा करवा कर काउंसलिंग में भाग ले सकता है।
3. अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु उनके द्वारा चयनित विकल्पों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के संकाय, श्रेणी, उप श्रेणी एवं परीक्षा प्राप्तांक आदि के अनुसार उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर महाविद्यालय आवंटन होगा।

अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिये जाने वाले विकल्प (Choices) में अधिकतम विकल्प भरे। अभ्यर्थी सभी उपलब्ध महाविद्यालयों को विकल्प के रूप में चयन कर सकता है। महाविद्यालय विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है।

अभ्यर्थियों को महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात् अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा महाविद्यालय चयन/आवंटन एवं अन्य प्रक्रियाओं का कार्यक्रम निम्न प्रकार होगा-

विवरण	दिनांक
ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क 5000/- ऑनलाइन/ ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाना	04.07.2025 से 16.07.2025
महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना (पंजीकरण शुल्क रु 5000/- जमा करवाने के पश्चात)	17.07.2025 से 21.07.2025
प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना	24.07.2025
प्रवेश हेतु शेष शुल्क रु. 22000/- बैंक ऑनलाइन / ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाना	24.07.2025 से 29.07.2025
प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में व्यक्तिशः रिपोर्ट (शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ)	24.07.2025 से 30.07.2025

4. रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ऑनलाइन अथवा ई-मित्र एवं शेष शुल्क उपर्युक्त वर्णित तिथियों में बैंक समयावधि में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की किसी भी शाखा में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे व ई-मित्र के माध्यम जमा किया जायेगा।

Certified True Copy
Signature

5. ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में अभ्यर्थी को अंक तालिका में दी गई काउंसलिंग आई.डी. इत्यादि का उपयोग करते हुए 5000/- रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाना होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी पीटीईटी-2025 के अपने मूल आवेदन-पत्र में दर्शाए गये कैटेगरी (GEN, SC, ST, OBC, SBC, MBC, EWS etc.) तथा सब कैटेगरी (Divorcee/PH/Defence etc.) की जाँच कर ले तथा अपने पास मूल दस्तावेज उपलब्ध हो इसकी भी जाँच कर लें। जाति प्रमाण-पत्र वैध एवं अवधि निर्धारित का होना चाहिए।
6. महाविद्यालयों के चयन हेतु पीटीईटी-2025 की अधिकृत वेबसाइट पर स्थित महाविद्यालयों की सूची के नाम, पता इत्यादि स्पष्ट कर लें एवं इन महाविद्यालयों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी अच्छी तरह प्राप्त कर लें तदुपरान्त ही काउंसलिंग हेतु अधिक से अधिक कॉलेजों का चयन कर ही लॉक करना उचित रहेगा। All Rajasthan का चयन अति सावधानी से करें। कॉलेज चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी न करें एक बार लॉक होने पर पुनः कॉलेज विकल्प का चयन नहीं होगा।
7. अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित नहीं होने पर 200/- रुपये कटौती करके 4800/- रिफण्ड हो जायेंगे, किन्तु महाविद्यालय आवंटित होने के उपरान्त ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करने पर व शेष शुल्क जमा नहीं करवाने पर अभ्यर्थी के 600/- रुपये काटकर 4400/- रुपये रिफण्ड होंगे। रिफण्ड अभ्यर्थी के स्वयं के बैंक खातों में ही होंगे। अतः रजिस्ट्रेशन के समय बैंक विवरण यथा नाम, खाता संख्या, IFSC CODE इत्यादि पूर्ण सावधानी से भरें।
8. काउंसलिंग के उपरान्त अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगी। तत्पश्चात अभ्यर्थी ऑनलाइन (Student Login) द्वारा सभी वाछनीय दस्तावेज अपलोड करेंगे। उसके पश्चात शुल्क की शेष राशि रूपयें 22000/- ऑनलाइन / ई-मित्र अथवा बैंक के माध्यम से जमा करवायेंगे। शुल्क जमा होने के पश्चात संबंधित महाविद्यालय द्वारा मूल दस्तावेज सत्यापन (वेरिफाई) करने के बाद अभ्यर्थी का प्रवेश Confirm होगा तथा अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना प्राप्त हो जाएगी। महाविद्यालय आवंटन पत्र को डाउनलोड कर उनका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें। यदि मूल दस्तावेज सत्यापन (वेरिफाई) नहीं हो पाते पाये उस स्थिति में अभ्यर्थी के 1000/- रुपये काटकर शेष राशि रिफंड होगी।
9. अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित होने और $5000 + 22000 = 27,000/-$ शुल्क जमा करवाने, ऑनलाइन रिपोर्टिंग व महाविद्यालय द्वारा Verification हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नहीं होगा।
10. महाविद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है और समस्त प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा चुने गये महाविद्यालय, उपलब्ध सीट, संकाय, विषय, अभ्यर्थी की कैटेगरी और सब कैटेगरी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार ही होती है। एक बार काउंसलिंग प्रारम्भ होने के बाद आवेदन-पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है यथा कैटेगरी, सब कैटेगरी इत्यादि।
11. सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व जाँच ले कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्शाए गये सभी तथ्य सही है और उनके पास अर्हता, कैटेगरी (अर्हता परीक्षा में GEN व EWS के लिए 50% व SC/ST/OBC/SBC/MBC/PH/Widow/Divorce के लिए 45% से उत्तीर्ण) 'से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज पूर्ण एवं सही है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता होने पर प्रवेश निरस्त माना जायेगा और प्रवेश शुल्क वापस नहीं होगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित अभ्यर्थी की होगी।
12. बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये समय-समय पर राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, NCTE अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश लागू होंगे।
13. अभ्यर्थी के दस्तावेजों के सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी आवंटित महाविद्यालय की होगी।
14. जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।